जोधपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

मउंपस. रकरकीपनत/तीवदम्बवत वेब–साईट रकीपनतरकंमकतह पीवदम छव्य 0291.2612086ए2656357 थ्ंग 0291.2612086

क्रमांक :– जोविप्रा/2021/ दिनांक :–

–: कार्यालय आदेश:–

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा विकसित योजनाओं में आवंटित भूखण्डों का आवंटी द्वारा विक्रय करने के सम्बन्ध में राजस्थान (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटी द्वारा भूखण्ड आवंटन की तिथि से 10 वर्ष तक भूखण्ड का विक्रय करने से पूर्व जोधपुर विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। नागरिकों को उक्त सेवा प्रदान करने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर बेचान–अनुमति का ऑनलाईन पोर्टल बनाया जाकर निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर बेचान अनुमति ऑनलाईन जारी की जा रही है।

इस सम्बन्ध में यह संज्ञान में आया है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 90–क/90–ख के अन्तर्गत जारी पट्टा–विलेख एवं प्राधिकरण की योजनाओं के 10 वर्ष की अवधि से पूर्व की तिथियों में जारी किये गये पट्टों की भूमि के सम्बन्ध में भी बेचान–अनुमति हेतु आवेदन किये जा रहे है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार इन नियमों के अन्तर्गत जारी पट्टों के पंजीकृत विक्रय–पत्र के फलस्वरूप निर्धारित शुल्क जमा करवाने के पश्चात् नाम–हस्तानान्तरण किये जाने का प्रावधान है। विक्रय से पूर्व प्राधिकरण से आवंटी द्वारा विक्रय की अनुमति प्राप्त किये जाने का प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार प्राधिकरण की योजनाओं में आवंटित भूखण्डों के प्रकरणों में आवंटन तिथि से 10 वर्ष पश्चात् भूखण्ड का विक्रय करने पर विक्रय की अनुमति प्राप्त किया जाना नियमानुसार आवश्यक नहीं है।

अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित बेचान अनुमति पोर्टल पर 90–क/90–ख के अन्तर्गत जारी पट्टों, योजना में आवंटित भूखण्डों पर आवंटन तिथि से 10 वर्ष पश्चात् एवं प्राधिकरण से नीलामी द्वारा प्राप्त भूखण्डों के पट्टों के प्रकरणों में नागरिकों द्वारा बेचान–अनुमति हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन करने पर विक्रय अनुमति के सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही किये बिना प्रारम्भिक स्तर पर विक्रय अनुमति आवश्यक नहीं होने सम्बन्धी अंकन करते हुए प्रकरण का निस्तारण कर आवेदक को सूचित किया जावें।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है, जिसकी पालना समस्त सम्बन्धित द्वारा सुनिश्चित की जाकर नागरिकों को राहत प्रदान की जावें।

8/10/21

(हरभान मीणा)

सचिव

मांक :– जोविप्रा / 2021 / 37770388 दिनांक :– 8/10/21

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जाती है :–

1. निजी सचिव (आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. निदेशक अभियांत्रिकी / आयोजना / विधि / वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / उप–सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. तहसीलदार–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

8/10/21

(हरभान मीणा)

सचिव